दिनांक 31.03.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के संचालक के द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत से 1 अप्रैल 2018 से बाजार शुल्क की वसूली समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने कहा कि नगरीय निकाय में बाजार शुल्क की वसूली नगर पालिक निगम के अंतर्गत बाजार शुल्क की वसूली की जाती थी। इस शुल्क का भार सामान्यता छोटे और फूटकर व्यापारियों पर पड़ता था। इससे बाजारों में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होती है। शासन के द्वारा व्यापक जनहित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, कि 1 अप्रैल 2018 से बाजार शुल्क की वसूली नहीं की जावेंगी। उक्त बाजार शुल्क नही लिये जाने से छोटे व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेंगा।

जन सम्पर्क अधिकारी